State Council of Educational
search & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्रं. / विज्ञान– गणित शिक्षा प्रोत्साहन / छात्रवृत्ति / 2013 / 968 रायपुर दिनांक 12.03.2013

प्रति,

- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय
- आयुक्त, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग
- मिशन संचालक, रा.परि.का., रा.गा.शि.मि. रायपुर
- सचिव, मा.शि.मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर
- सचिव, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, हरिभूमि प्रेस परिसर रायपुर
- अध्यक्ष, छ.ग. संस्कृत विद्यामण्डलम्, रायपुर
- अध्यक्ष, छ.ग. मदरसा बोर्ड, रायपुर
- संचालक, राष्ट्रीय माध्य. शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ (जिला ....)
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ (जिला ....)
- समस्त प्राचार्य, (डाइट) छत्तीसगढ़ (डाइट ....)
- समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग छत्तीसगढ़ (जिला ....)

विषय – राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विज्ञान एवं गणित शिक्षा की प्रोत्साहन की नवीन छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति दिए जाने की सूचना।

संदर्भ – छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ–9–46 / 20–दो / 2011 एवं 12 रायपुर दिनांक 02.03.2013।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश के अनुक्रम में छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गणित एवं विज्ञान विषयों का अध्ययन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक लम्बी अवधि की छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त योजना का विस्तृत स्वरूप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये ताकि राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी / अभिभावक को इस योजना की जानकारी मिल सके और वे इस छात्रवृत्ति के लिए अपेक्षित तैयारी कर सकें।

संलग्न – संदर्भित पत्र की छायाप्रति (04 पृष्ठों में)

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

पृ. क्रं. / विज्ञान– गणित शिक्षा प्रोत्साहन / छात्रवृत्ति / 2013 / रायपुर दिनांक ....

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर छ.ग.।

-Sd.
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, रायपुर
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक............

कमांक एफ 9–47/20–दो/2011 :: राज्य शासन एतद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विज्ञान एवं गणित शिक्षा प्रोत्साहन की नवीन छात्रवृत्ति योजना की प्रशासकीय स्वीकृति देता है। इस योजना के अंतर्गत मेरिट स्कालरशिप पश्चिम भारत विज्ञान मेला एवं इन्स्पायर एवार्ड स्कीम से संलग्न पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। योजना का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **पृष्ठभूमि :–**

राज्य में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की अत्यंत कमी है इस कारण अधिकांश छात्र हायर सेकण्डरी स्तर पर इन विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी इन विषयों की पढ़ाई हेतु कम छात्र प्रवेश ले रहे हैं जिससे स्कूलों में शिक्षण के लिए इन विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु पर्याप्त अभ्यर्थी भी नहीं मिल पा रहे हैं। हायर सेकण्डरी स्तर तक विज्ञान एवं गणित विषयों के अध्ययन से भविष्य में रोजगार अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। अतः इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग में विज्ञान एवं गणित विषयों का अध्ययन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति की एक लंबी अवधि की कार्य योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जानी आवश्यक है। जिससे जहाँ एक ओर गणित एवं विज्ञान विषयों के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर इन विषयों का अध्ययन कर छात्रों को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

2. **योजना का स्वरूप :–**

यह योजना दो स्तरों पर लागू की जायेगी –

(1) राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनियों/ प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इन विषयों में हायर सेकेण्डरी स्तर तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना।

(2) ऐसे छात्र जिन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा वे हायर सेकण्डरी स्तर पर छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के लिए विज्ञान एवं गणित विषयों का चयन करते हैं।

(3) योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए तथा विभिन्न स्तरों पर विज्ञान एवं गणित विषयों में छात्रों की रुचि जागृत करने हेतु प्रचार प्रसार, कार्यशालाएँ एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित करना भी शामिल होगा।

3. **छात्रवृत्ति का विस्तार :–**

(1) प्रदेश में विज्ञान विषयों के प्रोत्साहन हेतु पश्चिम भारत विज्ञान मेला, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान पहेली, विज्ञान नाटिका एवं विज्ञान सेमीनार तथा इंस्पायर विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। इन कार्यक्रमों में राज्य के विभिन्न जिलों के शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र सम्मिलित होते हैं तथा जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस योजना में राज्य स्तर पर भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागी जो इस योजना की शर्तें पूरी करेंगे उन्हें कक्षा 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

(2) इसी प्रकार राज्य के ऐसे समस्त छात्र जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के हाईस्कूल में 70 प्रतिषत से अधिक अंक अर्जित करते हैं और हायर सेकण्डरी स्तर पर गणित अथवा विज्ञान विषय का चयन अध्ययन हेतु करते हैं तथा छात्रवृत्ति के लिए मापदण्ड पूर्ण करते हैं उन्हें भी 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

4. **छात्रवृत्ति का स्वरूप :–**

यह छात्रवृत्ति पूर्णतः मेरिट आधारित छात्रवृत्ति है तथा इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए छात्र को पूर्व से राज्य शासन द्वारा प्रचलित अन्य छात्रवृत्तियाँ यदि प्राप्त हो रही हैं तो वे छात्रवृत्तियाँ बाधक नहीं होंगी परंतु ऐसे छात्र जिन्हें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही हो अथवा किसी भी समय यदि उनका चयन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में हो जाता है तब ऐसी स्थिति में उस छात्र को इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा।

(1) कक्षा 6वीं से 8वीं तक रु. 100/– प्रतिमाह

(2) कक्षा 9वीं से 10वीं तक रु. 150/– प्रतिमाह

(3) कक्षा 11वीं से 12वीं तक रु. 200/– प्रतिमाह

5. **छात्रवृत्ति के मापदण्ड :–**

1 यह छात्रवृत्ति समय–समय पर छ.ग. राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा चयनित विज्ञान एवं गणित प्रतियोगिताओं के लिए प्रदाय की जायेगी।

2 यह छात्रवृत्ति सभी शासकीय, अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं अशासकीय मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है।

3 कक्षा 8वीं के पष्चात यह छात्रवृत्ति उन्हीं छात्रों को प्रदान की जायेगी जो छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्धता प्राप्त हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययन करेंगे।

4 कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले जिन विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिलना प्रारंभ होती है उन्हें कक्षा 7वीं में भी मिलती रहेगी यदि वे कक्षा 6वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। यह छात्रवृत्ति कक्षा 8वीं में भी जारी रह सकती है यदि विद्यार्थी कक्षा 7वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं।

5 इसी प्रकार कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले जिन छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलना प्रारंभ होती है वह उन्हें कक्षा 10 में भी मिलती रहेगी यदि वे कक्षा 9वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं।

6 यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को भी दी जाएगी जो कक्षा 10वीं की छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों और जिन्होंने कक्षा 11वीं में विज्ञान या गणित विषय का चयन किया हो।

7 कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले जो छात्र यह छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं वे यदि इस कक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति उन्हें कक्षा 12वीं में भी मिलती रहेगी।

8 विकलांग वर्ग के विद्यार्थियों को निर्धारित प्राप्तांकों की सीमा में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

9 विकलांगता हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. योजना का क्रियान्वयन :–

1. योजना का क्रियान्वयन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।
2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय विभिन्न विज्ञान एवं गणित प्रतियोगिताओं में चयनित छात्रों की सूची जिलेवार जिला शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों की सूची प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संचालक ,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को प्रेषित की जायेगी। जिसके आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जिलेवार बजट आबंटन उपलब्ध कराया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति प्रदाय तिथि का निर्धारण संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. द्वारा किया जायेगा।

उक्त छात्रवृत्ति योजना पर वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 35/1004745/ब–3/2013, दिनांक 18–02–2013 द्वारा सहमति प्रदान की गई हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

2/3/13

(एम.एन. राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

E:\data\(2) Scolar sheep.docx

कमांक एफ 9–46/20–दो/2012 रायपुर दिनांक 2/3/2013

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय रायपुर,
2. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
3. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर,
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ0ग0 रायपुर,
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छ0ग0, रायपुर,
6. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/3/13

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्रं. / सम. / छात्रवृत्ति / 2013 / 1911 रायपुर दिनांक 20.05.13

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....
छत्तीसगढ़

विषय – नवीन छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन।
संदर्भ – परिषद का पत्र क्र. / विज्ञान, गणित शिक्षा प्रोत्साहन / छात्रवृत्ति / 2013 / 968
दिनांक 12.03.2013

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पूर्व में प्रेषित विवरणिका अनुरूप नवीन शैक्षणिक सत्र 2013–14 से राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को निम्नानुसार तीन प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। अपेक्षा है, इन छात्रवृत्तियों के विषय में आपने–अपने जिले में पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया होगा। योजना संपादन हेतु कृपया निम्नलिखित तैयारी नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में **30 जुलाई 2013** के पूर्व संपादित कर लेवें –

1. **छात्रवृत्ति के प्रकार –**

   1. **मेरिट स्कालरशिप (विज्ञान, गणित शिक्षा प्रोत्साहन)**
   2. **पश्चिम भारत विज्ञान मेला**
   3. **इन्स्पायर अवार्ड स्कीम**

   इन छात्रवृत्तियों हेतु सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी मापदण्ड अनुसार पात्रताधारी छात्रों की सूची अपने जिले के शासकीय / अशासकीय मान्यता प्राप्त / अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं से प्राप्त करें।

2. पात्र छात्रों की सूची **वर्ष 2013–14** हेतु प्राप्त की जाये।
3. संस्थाओं से प्राप्त प्रत्येक वर्ग की सूची **संस्था प्रमुख द्वारा अनिवार्य रूप से प्रमाणित होगी। जिस पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर भी अनिवार्य होगा।**
4. पात्र छात्रों की सूची तैयार करते समय पात्रता संबंधी नियमों का भली–भांति अध्ययन एवं प्रकरणों के गहन परीक्षण की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। **अपात्र छात्रों के नाम प्रेषित करने पर संस्था प्रमुख दंड के भागी होंगे।**
5. संस्था प्रमुख प्रत्येक पात्र छात्र को अपना **बैंक खाता (राष्ट्रीकृत बैंक)** खोलने के निर्देश देवें एवं सूची में खाता क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

6. छात्रवृत्ति का भुगतान किसी भी स्थिति में नगद न होकर बैंक के माध्यम से होगा।

7. जिले के चयनित छात्रों की **छात्रवृत्ति मद की समस्त राशि "कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी"** को देय होगी। संबंधित छात्रों के खाते में राशि अंतरण करने का दायित्व भी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

8. जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि **पात्रताधारी छात्र को छात्रवृत्ति की राशि बैक के माध्यम से प्राप्त हो**। जिला शिक्षा अधिकारी सीधे छात्र के खाते में राशि हस्तांतरित करवाएँ।

9. जिला शिक्षा अधिकारी छात्रवृत्ति योजना हेतु अधीनस्थ एक **सहायक संचालक को नोड्ल अधिकारी नियुक्त करें** एवं लेखा संधारण हेतु प्रमुख **लेखापाल** को भी पृथक से निर्दिष्ट करें।

10. जिला शिक्षा अधिकारी जिले के विभिन्न विद्यालयों के पात्रताधारी छात्रों की सूची के आधार पर विभिन्न वर्गो में छात्रवृत्ति हेतु पृथक–पृथक गणना कर अपेक्षित मांगपत्र परिषद् को दिनांक **12 अगस्त 2013** तक उपलब्ध कराएं।

11. कार्ययोजना संबंधी समन्वय एवं मार्गदर्शन हेतु कृपया राज्य समन्वयक श्री बी. रघु से कार्यालयीन अविध में मोबाइल नम्बर 7587499920 पर संपर्क कर सकते हैं।

12. जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा परिषद् को प्रेषित की जाने वाली जानकारी हेतु विस्तृत प्रपत्र पृथक से भेजा जा रहा है। (छात्रों की सूची आपके कार्यालय में रहेगी, परिषद् में केवल सांख्यिकी भेजा जायेगा)।

विशेष – कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें एवं समयावधि में छात्रवृत्ति वितरण की संपूर्ण रणनीति अपने स्तर पर तत्काल बना ली जाये।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृ. पत्र क्रं./सम./छात्रवृत्ति/2013/ 1912 रायपुर दिनांक 20.05.13
प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति एवं कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।
6. समस्त सहायक आयुक्त, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर